इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2016—पौष 23, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. 608-10-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 जनवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१६

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.
४. विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
८. कुलाधिपति.
९. कुलपति.
१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. निदेशक.
१२. संकायाध्यक्ष.
१३. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.
१४. कुल सचिव.
१५. वित्त नियंत्रक.
१६. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१७. शासी निकाय.
१८. शासी निकाय का गठन.
१९. शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.
२०. कार्य परिषद्.
२१. कार्य परिषद् का गठन.
२२. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२३. विद्या परिषद्.
२४. विद्या परिषद् का गठन.
२५. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२६. वित्त समिति.
२७. प्राध्ययन स्कूल.
२८. निदेशालय.
२९. परिनियम.
३०. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३१. अध्यादेश.
३२. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३३. विनियम.
३४. विनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३५. वार्षिक रिपोर्ट.
३६. लेखाओं की संपरीक्षा.
३७. विश्वविद्यालय की निधि.
३८. उपाधि तथा उपाधिपत्र.
३९. सम्मानिक उपाधियां.
४०. उपाधियों इत्यादि का प्रत्याहरण.
४१. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
४२. अस्थायी उपबंध.
४३. संरक्षण.
४४. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.
४५. अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति.
४६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१६

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५

[दिनांक ११ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के समस्त स्वरूपों में उच्चतर शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को गति देने के लिए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने तथा उससे संसक्त एवं उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं**

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के स्कूल का संकायाध्यक्ष;

(घ) "संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विभाग;

(च) "संचालक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विस्तार एवं प्रशिक्षण संचालक;

(छ) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(ज) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(झ) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

(ञ) "हाल" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई संधारित या मान्यताप्राप्त निवास इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ट) "विहित" से अभिप्रेत है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित;

(ठ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त या उसके साथ संबद्ध कोई उच्च शिक्षण संस्था;

(ड) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुल सचिव;

(ढ) "केन्द्र" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित केन्द्र;

(ण) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(त) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय;

(थ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(द) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में "डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य.

४. (१) विश्वविद्यालय का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए, सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य के एकीकरण तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नयन के साथ रचनात्मक अभिगम द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषयों में उच्च शिक्षा, गवेषणा, विस्तार और प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना है.

(२) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(एक) शिक्षण, गवेषणा और विस्तार के माध्यम से उभरती विचारधारा एवं उपागम, उन्नत ज्ञान, बुद्धि और समझ का प्रसार करना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास पर केन्द्रित नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं लागू करने में भी कृत्यकारियों को संवेदनशील बनाना एवं प्रशिक्षित करना;

(दो) अध्ययन की ऐसी शाखाओं में ज्ञान को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करती हों, संस्थागत एवं गवेषणा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्नत करना;

(तीन) शिक्षण, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में संकाय एवं छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय अवस्थिति के अतिरिक्त जाति, मूलवंश, रंग, धर्म, सजातीयता, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर, सामाजिक-आर्थिक विकास, सामाजिक रूप से कलंकित प्रथाओं, सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों, विभेदकारी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए, विकसित देशों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, आधुनिक साधन एवं पद्धति, प्रतिकृति एवं मापदंडों, रणनीतियों एवं दृष्टिकोण, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उच्च शिक्षण के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से नेटवर्क स्थापित करना;

(चार) उपेक्षित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तकनीकी तथा अन्य विषयों जिसमें अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन, कृषि तकनीकी और ग्रामीण शिल्पकर्म की मूल सीमाओं में सामाजिक विज्ञान तथा समुचित कार्यक्रमों में परास्नातक एवं उच्चतर स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(पांच) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा उन विभिन्न सामाजिक विचारकों एवं सुधारकों के, जिन्होंने की गई कल्पना के अनुसार सामाजिक रूप से अलाभ वाले वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास और उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, विचारों और दर्शन का अध्ययन करना;

(छह) जाति प्रथा से इसके विभिन्न पहलुओं जैसे कार्योत्पादन निरन्तरता और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता, निर्योग्यता और विभेद के तथ्य का उपयुक्त उपचारी उपायों का पता लगाने हेतु अध्ययन करना;

(सात) सामाजिक-आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बुराईयों, सामाजिक विषमताओं और अन्याय के उन्मूलन पर केन्द्रित सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ तकनीकी उन्नयन के सम्मिलन द्वारा नवप्रवर्तनात्मक रणनीतियां खोजना;

(आठ) छात्रों और अध्यापकों तथा नागरिकों के बीच भी देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं समझ प्रोन्नत करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें तैयार करना;

(नौ) विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान तथा तकनीकी में शिक्षा, गवेषणा, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना;

(दस) सामाजिक रूप से अलाभ वाले वर्गों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही राज्य और केन्द्र सरकार तथा अन्य संगठनों को परामर्श एवं सलाह देना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार अन्य सुसंगत साहित्य का प्रलेखन करना, प्रकाशित करना और प्रसार करना;

(बारह) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो.

विश्वविद्यालय की अधिकारिता.

५. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगी.

(२) विश्वविद्यालय, शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी शिक्षा, गवेषणा विस्तार तथा प्रशिक्षण की गतिविधियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में जिसमें विदेशी छात्र सम्मिलित हैं, किसी संस्था के साथ सहयोग कर सकेगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग अथवा कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) शिक्षा, गवेषणा, विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए विभाग/केन्द्र और ऐसी अन्य इकाईयां स्थापित करना जैसी कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक हों;

(दो) वहिर्वर्ती शिक्षण, विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करना एवं उनका जिम्मा लेना;

(तीन) शिक्षण के लिए जिसमें दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन की ऐसी शाखाएं सम्मिलित हैं जिन्हें कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और गवेषणा के लिये एवं ज्ञान के उन्नयन एवं प्रसार के लिए उपबंध करना;

(चार) प्रवेश के लिये परीक्षा आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्हीं उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(पांच) अध्यादेश में अभिकथित रीति से सामाजिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(छह) ऐसे अध्यापन, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य पदों का सृजन करना जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर, आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;

(सात) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना या अन्यथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के रूप में मान्यता देना;

(आठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अभिनन्दन तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(नौ) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और बौद्ध धर्म की विचारधारा, विचार, दर्शन तथा सिद्धातों पर लेखन और व्याख्यान, साहित्य के संदर्भ में संग्रहालय, कला विधि, पुस्तकालय सृजित करना;

(दस) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना एवं उसका पालन करवाना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो कि आवश्यक समझे जाएं;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं, उन उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की दृष्टि से, जो कि विश्वविद्यालय के समान हो, भारत तथा विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या कोई सार्वजनिक अथवा निजी निकाय के साथ सहयोग करना;

(तेरह) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने और किसी अन्य संस्था के विश्वविद्यालय में निगमन के लिये भी और इसके अधिकार, संपत्तियां प्राप्त करने और किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जो इस अधिनियम से असंगत न हो, कोई करार करना;

(चौदह) ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभार, जिसमें समय-समय पर यथाविहित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम सम्मिलित है, की मांग करना तथा भुगतान प्राप्त करना;

(पन्द्रह) दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए कोई चल-अचल संपत्ति जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित न्यास अथवा विन्यास संपत्ति सम्मिलित है, अर्जित करना, धारण करना और व्ययन करना, और निधियों का ऐसी रीति में निवेश करना, जैसी कि विश्वविद्यालय उचित समझे.

(सोलह) शोध एवं सलाहकारी एवं परामर्शी सेवाओं के लिये उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसे करार करना जैसा कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(सत्रह) शोध तथा अन्य कार्यों के, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएं, मुद्रण प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(अठारह) राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के मामलों के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(उन्नीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उसमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक हों.

कुलाधिपति.

८. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) वह उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

कुलपति.

९. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाए, पांच वर्ष की कालावधि अथवा ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए की जाएगी.

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह और शासी निकाय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में संचालक, अध्ययन केन्द्र का संकायाध्यक्ष. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.

निदेशक.

११. एक निदेशक होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों, जिसमें प्रशिक्षण तथा विस्तार सम्मिलित है, सहित नियुक्त किया जाएगा जैसा कि विनियमों में विहित किया जाए.

संकायाध्यक्ष.

१२. प्रत्येक केन्द्र के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा, जो ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण.

१३. एक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण होगा, जो ऐसी रीति में ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा, जो कि विनियमों में विहित किए जाएं.

कुलसचिव.

१४. एक कुलसचिव होगा, जो शासी निकाय, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और जो मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, इसके सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा. उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य विनियमों में विहित किए जा सकेंगे.

वित्त नियंत्रक

१५. एक वित्त नियंत्रक होगा जो वित्त समिति का सचिव होगा और मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, १९८३ में यथाविनिर्दिष्ट रीति में नियुक्त किया जाएगा. उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य विनियमों में विहित किए जा सकेंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१६. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(एक) शासी निकाय;
(दो) कार्य परिषद;
(तीन) विद्या परिषद्;
(चार) वित्त समिति; और
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

शासी निकाय.

१७. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा. पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. अशासकीय सदस्य, कुलपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(२) शासी निकाय को कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी (सिवाय तब के जब कि इन अधिकारियों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो) और वह विश्वविद्यालय की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यदेशों या विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति का, शासी निकाय के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के सिवाय प्रयोग नहीं किया जाएगा.

(३) शासी निकाय की बैठक हेतु गणपूर्ति शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों से कम से नहीं होगी.

शासी निकाय का गठन.

१८. विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:

(एक) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति—अध्यक्ष
(दो) विश्वविद्यालय का कुलपति—उपाध्यक्ष

पदेन सदस्यः

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(छह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(सात) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा अतिरिक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(आठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;

(नौ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का अध्यक्ष या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(दस) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, नई दिल्ली का संयुक्त सचिव या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती;

(ग्यारह) निदेशक, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली;

(बारह) विश्वविद्यालय के विस्तार एवं प्रशिक्षण का निदेशक;

(तेरह) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो चक्रानुक्रम आधार पर तीन वर्ष के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कुल सचिव—सचिव.

अशासकीय सदस्य

(पन्द्रह) दो ख्याती प्राप्त सामाजिक वैज्ञानिक जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक या गवेषणा का अनुभव रखता हो;

(सोलह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो तथा ख्याति प्राप्त शासकीय/अशासकीय संगठनों से सहयुक्त हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों.

शासी निकाय की शक्तियां तथा कृत्य.

१९. (१) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शासी निकाय समस्त आवश्यक कार्रवाईयां करेगा.

(२) शासी निकाय, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा—

(एक) विश्वविद्यालय के परिनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना;

(तीन) कार्य परिषद् या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निकाय के किसी प्रस्ताव, सिफारिश, विनिश्चय या प्रतिवेदन को स्वीकार करना, रद्द करना, पुनर्विलोकन करना, अभिखंडित करना या उसे वापस निर्दिष्ट करना;

(चार) अध्यादेश में संशोधन को प्रस्तावित करना;

(पांच) शासी निकाय के सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रिती के रूप में और व्यक्तियों को आमंत्रित करना;

(छह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं.

कार्य परिषद्.

२०. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के अशासकीय सदस्यों में से किया जाएगा.

(३) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध तथा प्रशासन (जिसमें राजस्व एवं संपत्ति सम्मिलित हैं) की प्रभारी होगी.

(४) बैठक हेतु गणपूर्ति कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों से होगी.

कार्य परिषद् का गठन.

२१. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;

पदेन-सदस्य

(दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का न हो;

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उपसचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(छह) अध्यक्ष (चेयरपर्सन), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संचालक से अनिम्न श्रेणी का उसका कोई नामनिर्देशिती;

(सात) निदेशक, विश्वविद्यालय विस्तार एवं प्रशिक्षण;

(आठ) विश्वविद्यालय के तीन संकायाध्यक्ष जो शासी निकाय के सदस्य हों.

(नौ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव;

अशासकीय-सदस्य

(दस) दो ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

(ग्यारह) दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य हैं;

कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२२. (१) कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी—

(एक) समय-समय पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं परिनियमों से अनअसंगत विनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना;

(दो) शिक्षक वर्ग के पदों के वेतनमान के साथ-साथ अर्हताएं, पारिश्रमिक, कर्तव्य, सेवा शर्तें, अनुशासनिक तथा अपील प्राधिकारी सृजित करना तथा वर्गीकृत करना तथा निर्धारित करना;

(तीन) ग्रंथपाल, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और शिक्षक वर्ग के उतने अन्य सदस्यों को, इस प्रयोजन हेतु विनियमों द्वारा गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर, समय-समय पर नियुक्त करना जो कि आवश्यक हों:

परंतु शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा;

(चार) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासकीय, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना तथा इन पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा परिलब्धियां निर्धारित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, संपत्ति और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना तथा उस प्रयोजन के लिये उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जितने कि वह आवश्यक समझे;

(छह) क्रय, दान, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा ऐसी चल या अचल संपत्ति या निधियां अर्जित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों;

(सात) विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति को बेचना, बंधक रखना, भारित करना/पट्टे पर देना, विनिमय करना या अन्यथा अंतरण या व्ययन करना;

(आठ) बांड, डिबेंचर और वचन पत्रों या अन्य बाध्यताओं या विश्वविद्यालय की प्रतिभूतियों पर, विश्वविद्यालय की किसी स्थावर अथवा जंगम सम्पत्ति के बंधक, भार, आड़मान अथवा गिरवी द्वारा ऐसे धन जुटाना अथवा उधार लेना जो कि विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों;

(नौ) शिक्षक वर्ग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच के प्रतिवेदन पर विचार करना, जहां विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार दीर्घ दण्ड प्रस्तावित हो;

(दस) अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करना;

(ग्यारह) (क) वार्षिक प्रतिवेदन;
(ख) वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षक का प्रतिवेदन;
(ग) वार्षिक बजट;
पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना.

(बारह) बजट में यथा अनुमोदित, आवर्ती और अनावर्ती मदों पर व्यय मंजूर करना;

(तेरह) एक बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में निधियों को पुनर्विनियोजित करना;

(चौदह) शासी निकाय के समक्ष विचारण हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त मामलों की छंटनी कर उनकी अनुशंसा करना;

(पंद्रह) कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा नियत ऐसी सीमाओं से अधिक मौद्रिक मूल्य के अभियांत्रिक कार्यों, पूंजीगत उपस्कर के क्रय और योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन प्रदान करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग हेतु उपबंध करना;

(सत्रह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे कि शासी निकाय द्वारा उसे प्रदत्त या प्रत्यायोजित किए जाएं;

(अठारह) विश्वविद्यालय के कुलपति को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना.

(२) **कार्य परिषद् :**

(एक) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति तथा अभिवृद्धि हेतु नये विभागों, अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों, विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सृजन कर सकेगी.

(दो) राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्बाधन के अध्यधीन रहते हुए, नवीन विद्यालयों, संचालनालयों तथा संस्थाओं के सृजन हेतु शांसी निकाय को अनुशंसा कर सकेगी.

विद्या परिषद्.

२३. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की उच्चतम शैक्षणिक निकाय होगी.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा.

(३) विद्या परिषद्, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कि अध्यादेश में विहित किए जाएं.

विद्या परिषद् का गठन.

२४. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति — अध्यक्ष;
(दो) संकायाध्यक्ष, अध्ययन विभाग;
(तीन) निदेशक, विस्तार तथा प्रशिक्षण;
(चार) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;
(पांच) ग्रंथपाल;
(छह) वित्त नियंत्रक;
(सात) विभागाध्यक्ष;
(आठ) दो ख्याति प्राप्त सामाजिक विज्ञानी शासी निकाय के अशासकीय सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
(नौ) विश्वविद्यालय का कुल सचिव — सचिव

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

२५. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्या संबंधी निकाय होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :—

(एक) प्रवेश, शिक्षण के मानकों, परीक्षा, मूल्यांकन, अध्येतावृत्तियों, फीस, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, शैक्षणिक समुन्नति और शैक्षणिक उत्कृष्टता आदि के लिए अध्यादेश बनाना तथा उनमें संशोधन करना, जिससे कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;

(दो) विश्वविद्यालय के समस्त विद्या संबंधी मामलों जैसे शिक्षा, गवेषणा विस्तार तथा प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विनिमय कार्यक्रमों आदि के संबंध में परामर्श करना, योजना बनाना, परिचालन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा प्रबंध करना;

(तीन) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय की उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के संबंध में समतुल्यता अवधारित करना;

(चार) परिसर में, जिसमें सम्मिलित हैं केन्द्र तथा विभाग, परीक्षा, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और शास्ति तथा दण्ड, आचरण, परिवीक्षा, समय-पालन आदि, अनुशासन तथा शालीनता बनाए रखने के लिए छात्रों के लिये विनियम बनाना;

(पाँच) शैक्षणिक कार्यक्रम और कलेण्डर, शिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदित करना तथा विश्वविद्यालय की वृहत् शैक्षणिक नीतियां निर्धारित करना जिसमें पाठ्यचर्या विकास, अध्ययन बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर पाठ्यक्रम विरचित करना तथा पुनरीक्षित करना सम्मिलित है;

(छह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जैसे कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों;

(सात) शासी निकाय या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी विषय पर, रिपोर्ट करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

वित्त समिति.

२६. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति — अध्यक्ष (चेयरपर्सन);
(दो) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक
(तीन) विश्वविद्यालय का कुल सचिव
(चार) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक — सचिव

(२) वित्त समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, विचार तथा समीक्षा हेतु वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा तत्पश्चात् संशोधनों सहित या बिना संशोधन के कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे.

प्राध्ययन स्कूल.

२७. (१) उतनी संख्या में, अध्ययन स्कूल होंगे जितनी शासी निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं और उतनी संख्या में प्राध्ययन केन्द्र तथा विभाग होंगे, जितनी कि कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए.

(२) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आरंभिक तौर पर विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन स्कूल होंगे :—

(एक) डॉ. अम्बेडकर विचार और दर्शन स्कूल;
(दो) सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन अध्ययन स्कूल;
(तीन) कृषि और ग्रामीण विकास स्कूल;
(चार) शिक्षा और कौशल विकास स्कूल;
(पांच) विधि और सामाजिक न्याय स्कूल;

(३) शासी निकाय स्कूल गठित कर सकेगी और कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित कर सकेगी.

(४) प्रत्येक अध्ययन स्कूल का एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसी कि विनियमों में विहित की जाए.